an>

Title: Need to relax norms for crop procurement in view of unseasonal rain and provide Rs. 50,000/- compensation per hectare to the affected farmers.

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदय, इस वर्ष किसानों को दोहरी-तिहरी मार झेलनी पड़ी। पहले यूरिया के लिए मारा-मारी होती रही, उसके बाद पकी हुई फसलों पर बेमौसम बरसात से नुकसान हुआ। अब जो बची-खुची फसल है, वह मण्डियों में आ गयी, तो अब उस पर एफ.सी.आई. की कुल्हाड़ी चली है। पूरे देश में एफ.सी.आई. ने आदेश दिया है कि जो गेहूँ के टूटे हुए दाने हैं, उसे 15 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम पर खरीदा जाएगा, जिससे सीधा नुकसान कुदरत और कानून की मार झेल रहे किसानों को होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर राज्य में अलग-अलग, डेढ़ सौ-दो सौ रुपये का मुआवजा देकर किसानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। जैसे दिल्ली सरकार ने 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया है, ऐसे ही मुआवजा देकर किसानों को बचाया जाए।